प्रेस नोट,दिनांक 23.08.2024

थाना सैयदराजा, जनपद चन्दौली

03 दिवस पूर्व गिरफ्तार गौ-तस्करों का सहयोगी वाहन स्वामी गिरफ्तार

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशानुसार जनपद मे शराब व गौ तस्करी करने वाले गिरोह के विरूद्ध कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम मे पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर राजेश राय के पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक मुकेश कुमार तिवारी के कुशल नेतृत्व मे तस्करों के विरूद्ध चलाये जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान

☐ दिनांक 21.08.2024 को थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा एक पिकप में वध हेतु क्रूरता पुर्वक लादकर ले जाए जा रहे कुल 07 राशि गोवंशों (02 राशि साड़ व 05 राशि गाय) की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चालान किया था।

☐ इसी क्रम में आज दिनांक 23.08.2024 को उ0नि0 बब्बन सिंह चौहान मय हमराह को मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि दिनांक 21.08.2024 को एक पिकअप जिसमें कुल 07 राशि गोवंशो की बरामदगी करते हुए दो शातिर तस्करो को गिरफ्तार किया गया था जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 147/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनिमय का अभियोग पंजीकृत किया गया था. जिसमें वाहन स्वामी जो वाँछित अभियुक्त है, के सम्बन्ध में मुखबिर की प्राप्त सूचना पर उ0नि0 बब्बन सिंह चौहान मय हमराहियान द्वारा कस्बा सैयदराजा के पास से वाँछित अभियुक्त/वाहन स्वामी रामखेलावन उर्फ गुड्डू पुत्र लोकनाथ केशरवानी निवासी शाहबाद गढ़ी मानिकपुर थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ को गिरफ्तार कर लिया गया। जिसके सम्बन्ध में पूर्व में ही अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तारी के आधार पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

रामखेलावन उर्फ गुड्डू पुत्र लोकनाथ केशरवानी निवासी शाहबाद गढ़ी मानिकपुर थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ उ0प्र उम्र 24 वर्ष

गिरफ्तारी व बरादगी का स्थान व समय

कस्बा सैयदराजा से थाना सैयदराजा के बीच करीब 50 मीटर समय करीब 11.10 बजे

पूछताछ अभियुक्त

अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि साहब मैं उपरोक्त वाहन का स्वामी है। मैं तथा मेरे अन्य साथी इन गोवंशो को लाल गोपालगंज कुण्डा के जंगलो से इक्ट्ठा कर पिकप में जानवर लादकर बिहार के रास्ते प0 बंगाल वध हेतु ले जाते है । गोवंशीय पशुओ से जो धनराशि मिलती है उसे हम लोग आपस मे बांट लेते है ।

बरामदगी का विवरणः-

1. एक मोबाइल एन्ड्रायड मोबाइल रियल मी कम्पनी
2. 25,000-/ बरामद रुपये

बरामदगी मे पुलिस टीम का विवरण

1. निरीक्षक मुकेश कुमार तिवारी- प्रभारी निरीक्षक सैयदराजा जनपद चन्दौली
2. उप निरीक्षक- बब्बन सिंह चौहान थाना सैयदराजा चन्दौली ।
3. हे.का. नसीरुद्दीन मोहम्मद हुँमायु थाना सैयदराजा चन्दौली ।
4. हो.गा. शिवशंकर यादव थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली ।

प्रेस नोट दिनांक-23.08.2024

थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा मैजिक में क्रूरतापूर्वक बांधकर वध हेतु बिहार के रास्ते पण्डुआ पश्चिम बंगाल ले जाये जा रहे कुल 2 राशि गोवंश बरामद व दो शातिर पशु तस्कर गिरफ्तार

श्री आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली द्वारा जनपद में गोवंशों की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व अपराध में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवम् जुर्म जरायम के रोकथाम हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में विनय कुमार सिंह अपर पुलिस अधीक्षक चन्दौली व आशुतोष क्षेत्राधिकारी पं.दी.द.उ.नगर के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक अलीनगर विनोद कुमार मिश्र के कुशल नेतृत्व में अलीनगर पुलिस टीम द्वारा सुपर कैरी मैजिक में क्रूरतापूर्वक बांधकर वध हेतु बिहार के रास्ते पण्डुआ पश्चिम बंगाल ले जाये जा रहे कुल 2 राशि गोवंश बरामद व दो शातिर पशु तस्कर गिरफ्तार। गिरफ्तारी / बरामदगी के आधार पर थाना अलीनगर पर सुसंदत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

पुलिस कार्रवाई-

दिनांक 22.08.2024 को समय करीब 12.50 बजे पीआरवी UP 32DG5084 द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर प्रभारी निरीक्षक अलीनगर विनोद कुमार मिश्र मय पुलिस टीम द्वारा पचफेड़वा हाईवे अण्डर के पास चेकिंग की जा रही थी कि एक सुपर कैरी मैजिक गाडी अपनी साइड से वाराणसी से चन्दौली की तरफ आती हुई दिखाई दी कि पास आने पर उक्त वाहन को हिकमत अमली से रोककर साइड खड़ा कराकर गाडी बंद कर चाभी लेकर ड्राईवर की सीट पर बैठे व्यक्ति एवं बगल की सीट पर बैठे व्यक्ति को उतारकर उनका नाम पता पूछा गया तो ड्राइवर की सीट पर बैठे व्यक्ति से अपना नाम सुनील कुमार पुत्र स्व. राम आधार निवासी ग्राम झउवा थाना औराई जिला भदोही उम्र करीब 28 वर्ष बताया तथा बगल मे बैठे व्यक्ति ने पूछने पर अपना नाम समारू कुमार पुत्र मटरू निवासी ग्राम जोगियापुर थाना मिर्जामुराद जनपद वाराणसी उम्र करीव 22 वर्ष बताया। गाडी संख्या UP 65MT 2033 मैजिक को किनारे करवाकर चेक किया गया तो मैजिक में कुल 02 राशि जिन्दा गोवंश (01 राशि गाय व 01 राशि बछिया) जिनको क्रूरता पूर्वक बांधकर वध हेतु बिहार के रास्ते पण्डुआ पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा था पाये गये। गिरफ्तारी / बरामदगी के आधार पर थाना अलीनगर पर मु.अ.सं. 194/24 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

विवरण पूछताछ-

पकडी गयी गाडी व लदी गायो के संबंध मे पूछा गया तो दोनो ने बताया कि यह गाय और बछिया हम लोग वध हेतु बिहार के रास्ते बंगाल ले जाते है। हम सब गाय के साथ छोटा बछिया इसलिए लाद लेते है कि हमपर किसी को शक न हो कि हम लोग गोवंश को वध के लिए ले जा रहे है।गोवंशीय पशुओ से जो धनराशि मिलती है उसे हम लोग आपस मे बांट लेते है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1.सुनील कुमार पुत्र स्व. राम आधार निवासी ग्राम झउवा थाना औराई जिला भदोही उम्र करीब 28 वर्ष बताया।

2.समारू कुमार पुत्र मटरू निवासी ग्राम जोगियापुर थाना मिर्जामुराद जनपद वाराणसी उम्र करीव 22 वर्ष।

आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्त –

मु0अ0सं0 194/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम

विवरण बरामदगी

1.एक वाहन UP 65MT 2033 मैजिक

2.कुल 02 राशि जिन्दा गोवंश बरामद (01 राशि गाय व 01 राशि बछिया)

गिरफ्तारी / बरामदगी में शामिल पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्र थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

2.निरीक्षक रमेश यादव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

3.उ.नि. राजेश कुमार राय थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

4.हे0का0 कमलेश पाण्डेय थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 23.08.2024
थाना धानापुर, जनपद चन्दौली

थाना धानापुर पुलिस की प्रथम टीम 03 किग्रा 680 ग्राम नाजायज गांजा, नगद 3000 रूपये बरामद व 03तस्करों को किया गिरफ्तार तथा दूसरी टीम द्वारा 02 किग्रा 300 ग्राम नाजायज गांजा, नगद 2000 रूपयों के साथ 02 तस्करों को किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय चन्दौली श्री आदित्य लांग्घे द्वारा जनपद चन्दौली में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री व तस्करी पर रोकथाम व बिक्री व तस्करी करने वाले अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु दिये गये आदेश निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक महोदय चन्दौली विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सकलडीहा रघुराज के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष धानापुर प्रशान्त कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में धानापुर पुलिस की प्रथम टीम 03 किग्रा 680 ग्राम नाजायज गांजा, नगद 3000 रूपये बरामद व 03तस्करों को किया गिरफ्तार तथा दूसरी टीम द्वारा 02 किग्रा 300 ग्राम नाजायज गांजा, नगद 2000 रूपयों के साथ 02 तस्करों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी / बरामदगी के आधार पर थाना धानापुर पर सुसंदत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

▪ **पुलिस कार्रवाई 1-**
आज दिनांक 23.08.2024 को करीब समय 03:50 AM बजे उ0नि0 कृष्ण कुमार उपाध्याय चौकी प्रभारी भदाहूं मय टीम को उस समय सफलता मिली जब पुलिस टीम द्वारा रात्रि में संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी कि कुछ देर बाद धानापुर की तरफ से एक मोटरसाइकिल आती दिखाई दी जिसे टार्च जलाकर रोकने का इशारा किया गया परन्तु बाईक चालक ने पुलिस टीम से लगभग 30 मीटर पहले गाड़ी रोक दिया तथा पीछे मुड़कर भागने का प्रयास किये किंतु गाड़ी बंद हो गई इतने में संदिग्ध अपराधी की आशंका में पुलिस टीम द्वारा हिकमत अमली से मोटरसाईकिल सवारों को रोक लिया गया। मोटरसाइकिल पर तीन व्यक्ति सवार थे उनसे नाम पता पूछने पर मोटरसाइकिल चला रहे व्यक्ति ने अपना नाम दिनेश कुमार पुत्र मंगल प्रसाद निवासी कांटा थाना सैयद राजा जनपद चंदौली बताया तथा बीच में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम राजकुमार पुत्र भोला यादव निवासी कटवा माफी थाना सहाबगंज जनपद चंदौली बताया तथा जिनके हाथ में एक प्लास्टिक की बोरी है जिसके बारे में पूछा गया तो बताया कि इसमें कपड़े इत्यादि हैं पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम संजय केसरी पुत्र राधेश्याम केसरी निवासी बबुरी थाना बबुरी जनपद चंदौली बताया। पकड़े गये व्यक्तियों के पास से करीब 03 किलो 680 ग्राम गांजा व कुल 3000 रूपये नगद तथा तीन मोबाईल प्राप्त हुआ। गिरफ्तारी / बरामदगी के आधार पर थाना धानापुर पर मु.अ.सं. 147/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना धानापुर का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

▪ **पुलिस कार्रवाई 2-**
आज दिनांक 23.08.2024 को समय करीब 04.15 AM बजे जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि दो व्यक्ति एक सफेद रंग के प्लास्टिक का झोला लिये अवही मार्ग पर सकरारी तलाब के पास बैठे हैं जिनके पास नाजायज गांजा हैं जो कहीं जाने के फिराक मे है यदि जल्दी किया जाये तो पकड़े जा सकते हैं।उक्त सूचना पर धानापुर पुलिस टीम द्वारा योजना बद्ध तरीके से सकरारी तालाब के पास पहुंचकर लुक छिपकर आगे बढ़ने लगे कि कुछ दूरी से मुखबिर द्वारा

इशारा करके बताया गया की चबूतरे पर बैठे दो व्यक्ति वहीं है, जिनके पास झोले में नाजायज गांजा है, यह इशारा करके मुखबिर मौके से हट - बढ़ गया, पुलिस टीम एक बारगी दोनों व्यक्तियो के पास पहुँचीं तो दोनों व्यक्ति चबूतरे से उठकर झोला लेकर भागने का प्रयास किये जिन्हें हिकमत अमली से पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछते हुए भागने का कारण पूछा गया तो हांथ मे लिये झोले वाले व्यक्ति ने अपना नाम शुभम यादव पुत्र रामदुलार यादव नि0ग्राम डिहवा जफरपुर थाना अलीनगर जनपद चन्दौली उम्र करीब 32 वर्ष व साथ मे भाग रहे व्यक्ति ने अपना नाम वारिश रसीद पुत्र मो0 इजहार नि0 ग्राम डिहवा जफरपुर थाना अलीनगर जनपद चन्दौली उम्र करीब 40 वर्ष बताया तथा भागने के सम्बन्ध में बताये कि हमारे पास सफेद झोले मे लगभग 2 किलो ग्राम नाजायज गांजा पुड़िया में है इसलिए हम लोग पुलिस को देखकर भागने लगे । पकड़े गये व्यक्तियो के पास नियमानुसार तलाशी में नगद रूपये 2000/- तथा दो मोबाईल व पुड़िया में गांजा कुल वजन 02 किलो 300 ग्राम पाया गया। गिरफ्तारी / बरामदगी के आधार पर थाना धानापुर पर मु.अ.सं. 148/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना धानापुर का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.शुभम यादव पुत्र रामदुलार यादव ग्राम डिहवा जफरपुर थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
2.वारिश रसीद पुत्र मो0 इजहार ग्राम डिहवा जफरपुर थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
3.दिनेश कुमार पुत्र मंगल प्रसाद ग्राम कांटा थाना सैयदराजा जनपद चंदौली
4.राजकुमार पुत्र भोला यादव ग्राम कटवा माफी थाना सहाबगंज जनपद चंदौली
5.संजय केशरी पुत्र राधेश्याम केशरी ग्राम बबुरी थाना बबुरी जनपद चंदौली

विवरण बरामदगी निम्नवत है-

टीम 1-
1.कुल 03 किलो 680 ग्राम नाजायज गांजा (अभियुक्तगण दिनेश कुमार, राजकुमार , संजय से)
2.नगद 3000 रूपये
टीम 2-
1.कुल 02 किलो 300 ग्राम नाजायज गांजा (अभियुक्तगण शुभम यादव व वारिश रसीद से)
2.नगद 2000 रूपये

पंजीकृत अभियोग-

1.मु.अ.सं. 147/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना धानापुर
2.मु.अ.सं. 148/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना धानापुर
नोटः- अभियुक्तगण के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम-

1.SO प्रशान्त कुमार सिंह थानाध्यक्ष थाना धानापुर जनपद चन्दौली
2.उ0नि0 कृष्ण कुमार उपाध्याय चौकी प्रभार भदांहू थाना धानापुर जनपद चन्दौली
3.उ0नि0 गेंदा सिंह थाना धानापुर जनपद चन्दौली
4.हे0का0 जगदीश चन्द्र थाना धानापुर जनपद चन्दौली

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक-23.08.2024
जनपद चन्दौली

□पुलिस अधीक्षक चन्दौली जनता दर्शन में आए फरियादियों की सुनी गई समस्याएं
□जनता की समस्याओं को प्रथम प्राथमिकता के आधार पर करे निस्तारण
□जनता से प्राप्त प्रत्येक प्रार्थनापत्रों के सम्बन्ध में स्वयं थानाप्रभारियों से वार्ता कर दिए निर्देश

चन्दौली-
जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराये जाने के क्रम में आज दिनांक 23.08.2024 को पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे ने पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई किया। जिसमें अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे फरियादियों के आवेदन लेकर उन्हें न्यायोचित/गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने का आश्वासन दिया।
इस दौरान उन्होंने कहा कि फरियादियों की शिकायतों का गुणवत्ता के साथ निस्तारित करना व न्याय दिलाना ही चन्दौली पुलिस की प्राथमिकता है।
पुलिस अधीक्षक द्वारा विभिन्न थानाक्षेत्रों से आए आवेदकों की शिकायतो को जनसुनवाई के माध्यम से गंभीरतापूर्वक सुना एवं संबंधित राजपत्रित अधिकारी (पुलिस) थाना प्रभारी से स्वयं वार्ता कर आवेदक की शिकायत का निराकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया।
पुलिस अधीक्षक द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जनसुनवाई के दौरान आने वाले नागरिकों/आवेदकों/ फरियादियों के साथ शिष्ट एवं विनम्र व्यवहार किया जाए व प्रत्येक आवेदक की शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुनाकर उसका गुण दोष के आधार पर सकारात्मक कार्यवाही की जाए।

आज पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनसुनवाई के दौरान भूमि विवाद-05, परिवारिक विवाद 05, साइबर सम्बन्धित 02, अन्य विवाद-12 कुल 24 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। जिनके निस्तारण के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित भी किया गया।

प्रेस नोट-23.08.2024
जनपद चंदौली

□प्रचलित उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती लिखित परीक्षा के दौरान डा0 ओ0पी0 सिंह, पुलिस उपमहानिरीक्षक वाराणसी रेंज वाराणसी, जिलाधिकारी चन्दौली निखिल टी फुंडे व पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे द्वारा परीक्षा केन्द्रों का किया गया निरीक्षण

पुलिस भर्ती परीक्षा-2023 की री-एक्जाम आज 23 अगस्त सहित, 24, 25, 30 और 31 अगस्त 2024 को आयोजित की गई है। यह परीक्षा दो पालियों में सम्पन्न होगी। परीक्षा के लिए 10 परीक्षा केन्द्र निर्धारित किए गए हैं, जहां प्रातः 10.00 बजे से 12.00 बजे तक और सायंकाल 03.00 बजे से 05.00 बजे तक लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी।
ड्यूटी में लगे अधिकारी/कर्मचारीगण को निर्देशित किया है कि परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित दूरी तक किसी प्रकार की व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंध रहेगा, परीक्षार्थियों की चेकिंग अत्याधुनिक संसाधनों से करायी जाए तथा अपने-अपने क्षेत्रों में सुरक्षा प्रबंध, बसों की व्यवस्था, साफ-सफाई और निर्बाध विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने से वंचित न रहे और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े।
उत्तर प्रदेश सरकार ने परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के आवागमन के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की है। इसके बावजूद, कई अभ्यर्थी रेल मार्ग या निजी साधनों से भी यात्रा करेंगे, जिससे रोडवेज बस स्टाप, रेलवे स्टेशन और सड़क मार्गों पर भारी भीड़-भाड़ होने की संभावना है।
जिसको लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

वहीं प्रत्येक परीक्षा केन्द्रों पर पर्याप्त संख्या में अभिसूचना कर्मी को एचएचएमडी के साथ तैनात किया गया है। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर बायोमेट्रिक्स सत्यापन के उपरान्त ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया जायेगा। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के मोबाइल, घड़ी, इलेक्ट्रानिक्स सामग्री व बैग इत्यादि ले जाने की अनुमति नहीं है। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिये जगह जगह हेल्प डेस्क बनाये गये है।

प्रत्येक परीक्षा केन्द्र सीसीटीवी से आच्छादित है।

प्रेस नोट दिनांक-23.08.2024
थाना चकिया जनपद चन्दौली

थाना चकिया पुलिस टीम द्वारा एक वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा अपराध एवं अपराधियो के विरूद्ध अंकुश लगाने के क्रम में दिये गये निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी चकिया राजीव सिसौदिया के कुशल पर्वेक्षण /निर्देशन में थानाध्यक्ष अतुल कुमार द्वारा थाना चकिया पर गठित टीम के द्वारा थाना चकिया पर पंजीकृत मु.अ.सं. 148/24 धारा 74 बीएनएस व 9M/10 पाक्सो एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त प्रकाश पुत्र स्व0 दयाराम निवासी ग्राम भलुआ बिलौड़ी थाना चकिया जनपद चन्दौली को उसके घर के बाहर वहदग्राम भलुआ बिलौडी से गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्त के द्वारा 9 वर्ष की लड़की के साथ अश्लील हरकत किया गया था।

पजीकृंत अपराधिक इतिहास–
1.मु.अ.सं. 148/24 धारा 74 बीएनएस व 9M/10 पाक्सो एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का विवरण-
1.प्रकाश पुत्र स्व0 दयाराम निवासी ग्राम भलुआ बिलौड़ी थाना चकिया जनपद चन्दौली उम्र 35 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण-
1.थानाध्यक्ष अतुल कुमार थाना चकिया जनपद चन्दौली
2.उ0नि0 अवधेश यादव थाना चकिया जनपद चन्दौली
3.उ0नि0 बलिराम यादव थाना चकिया जनपद चन्दौली
4.हे0का0 रामचन्द्र सिंह थाना चकिया जनपद चन्दौली